राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/11/2019 को संपन्न 298वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 298वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 11/10/2019 को संपन्न 297वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: दिनांक 05/11/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अश्वनी धीवर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 940)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40643/2019, दिनांक 07/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/09/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271/2, 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,825 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 24/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /ख.लि./तीन–6/2019/1047–2 रायपुर, दिनांक 02/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला – महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1023/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र. 63/2018 महासमुंद, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के पश्चात् अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.37 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमति सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 794/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्रं.59/2018 महासमुंद, दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष की अवधि तक है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4078 महासमुंद, दिनांक 31/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 2.2 कि.मी. दूर है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 2 कि.मी. एवं महासमुंद 8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नांदगांव 3 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन बेलसोण्डा लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। कुरर नाला 0.05 कि.मी., केनाल 0.06 कि.मी. एवं महानदी 2 कि.मी. दूर है। तुमगांव आरक्षित वन 10 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,05,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 44,595 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.314 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। मैन्युअल ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,020	1.5	1,530	3,633.75
द्वितीय	1,070	1.5	1,605	3,811.87
तृतीय	1,100	1.5	1,650	3,918.75
चतुर्थ	384 716	1.5	1,650	3,918.75
पंचम	1,200	1.5	1,800	4,275

आगामी पांच वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छटवे	1,230	1.5	1,845	4,381.87
सातवे	1,240	1.5	1,860	4,417.5
आठवे	1,250	1.5	1,875	4,453.12
नौवे	239 1,041	1.5	1,920	4,560
दशवे	1,290	1.5	1,935	4,595.62

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध,

एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री दीपक चावड़ा (मुढ़ीपार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 928)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40295/2019, दिनांक 30/07/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/10/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 204, कुल क्षेत्रफल – 1.061 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 37,440 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ीपार का दिनांक 18/01/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/2016/688 रायपुर, दिनांक 13/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2429/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 01/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. लीज डीड श्री दीपक चावड़ा के नाम पर है, जिसकी अवधि 5 वर्ष (दिनांक 07/06/2012 से 06/06/2017 तक) की अवधि तक थी।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वन मण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5–29/9310 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 1.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 1 कि.मी., अस्पताल राजनांदगांव 7 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मुढ़ीपार लगभग 0.725 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि. मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8 कि.मी. है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,23,170 टन एवं माईनेबल रिजर्व 74,429 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.187 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	29,548.42
द्वितीय	37,439.34

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल/नदी से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नेहा स्टोन क्रशर (श्रीमती स्वाती गर्ग), ग्राम–बड़ांजी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 675)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 22554/2018, दिनांक 21/03/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 22554/ 2018, दिनांक 17/10/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–बड़ांजी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 504, कुल लीज क्षेत्र 1.62 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,620 टन/वर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 259वीं बैठक दिनांक 26/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत बड़ांजी द्वारा दिनांक 03/10/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक बस्तर/चूप/खयो–1122/2017/रायपुर दिनांक 24/11/2017 (अवधि 2018–19 से 2022–23 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2310(ए) दिनांक 27/09/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान परिधि में कुल 04 खदानें रकबा 17.85 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–बड़ांजी लगभग 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चित्रकोट राज्य मार्ग 2.5 कि.मी. एवं इंद्रावती नदी 01 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्रीमती स्वाती गर्ग के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों के लिए 29/04/2003 से 28/04/2023 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,80,490 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,38,171.6 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुवल विधि से उत्खनन किया जाता है। क्रशर युनिट 0.25 हेक्टेयर पर स्थित है। भू–भाग के 616 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन क्षेत्र एक छोटी पहाड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्खनन पहाड़ी काटकर किया गया है। वर्तमान में 12 मीटर तक पहाड़ी में उत्खनन किया गया है, तत्पश्चात् 06 मीटर नीचे और उत्खनन सतह तक किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 81 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 03 मीटर है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु 2.5 किलो लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत भू–जल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 975 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2004	770
2005	2,123
2006	2,992
2007	2,982
2008	3,714
2009	4,230
2010	3,500
2011	1,561
2012	4,801
2013	2,859
2014	4,170
2015	2,296
2016	7,347
2017	5,736.92
2018	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित की योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018–19	20,000.02
2019–20	20,000.02
2020–21	20,000.02
2021–22	20,000.02
2022–23	20,000.02
कुल	**1,00,000.10**

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/03/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.11 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 53.3 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स श्री आशीष डहरिया (डाभा सेण्ड माईन, ग्राम–डाभा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), जोरा भाटापारा, कृषक नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 990)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45638/2019, दिनांक 31/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डाभा, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डाभा दिनांक 08/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 541/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 23/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 824/खनि/न.क्र/2019 धमतरी, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775–3/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–डाभा 1.5 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–डाभा 1.5 कि.मी., अस्पताल मगरलोड 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 27 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 468 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 178 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री आशीष डहरिया (जोरातराई सेण्ड माईन, ग्राम–जोरातराई, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी) जोरा भाटापारा, कृषक नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 991)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45667/2019, दिनांक 31/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 403, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई(न.) दिनांक 13/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 537/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 23/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 822सी/खनिज/पत्रा./2019 धमतरी, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775–1/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–जोरातराई 1 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–जोरातराई 1 कि.मी., अस्पताल कुरूद 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 26 कि.मी. दूर है। तालाब 0.36 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 291 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 134 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री आशीष डहरिया (राजपुर सेण्ड माईन, ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी) जोरा भाटापारा, कृषक नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 992)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45639/2019, दिनांक 31/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 539/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 23/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 827/खनि/न.क्र/2019 धमतरी, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775–2/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 2 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–राजपुर 1 कि.मी., अस्पताल मगरलोड 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28 कि.मी. दूर है। तालाब 2 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 796 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 150 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री निर्देश दीवान (पोल्कर्रा सेण्ड माईन, ग्राम–पोल्कर्रा, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद) ग्राम–बाकेल, पो.ऑ.–भनपुरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 993)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45681/2019, दिनांक 31/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पोल्कर्रा, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 477, कुल लीज क्षेत्र 4.64 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,416 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिर्रीकला दिनांक 05/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 8807/खनि/रेत/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 621/खनि/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, 180 मीटर की दूरी में परवाडीह रेत खदान स्थित होना बताया गया है। जिसमें परवाडीह रेत खदान का क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया है एवं परवाडीह रेत खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी भी नहीं दी गई है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध, एनीकट एवं जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 580/गौणखनिज/रेत/नीलामी/न.क्र.01/2019 गरियाबंद, दिनांक 05/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–पोल्कर्रा 0.15 कि.मी., स्कूल ग्राम–पोल्कर्रा 0.2 कि.मी., अस्पताल फिंगेश्वर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.35 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 172 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 89 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 75,416 घनमीटर है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 621/खनि/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, 180 मीटर की दूरी में परवाडीह रेत खदान स्थित होना बताया गया है। जिसमें परवाडीह रेत खदान का क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया है एवं परवाडीह रेत खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी भी नहीं दी गई है। अतः 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों का विवरण दूरी एवं क्षेत्रफल को दर्शाते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स ढोण्डरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह), ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 971)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44664/2019, दिनांक 13/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,226.3 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ढोण्डरा का दिनांक 28/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1351/खनिज/उ.यो./2019–20 दन्तेवाड़ा, दिनांक 05/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/अस्थाई–अनुज्ञा/2019 सुकमा, दिनांक 14/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 1139/खनिज/कले./2019 सुकमा, दिनांक 20/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–ढोण्डरा 1.2 कि.मी. एवं प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–ढोण्डरा 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 40 कि.मी. दूर है। सबरी नदी 1.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,38,050 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,90,740 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष हिलरॉक–1	2,654	3.0	7,962	88,050
	6,166	3.0	18,498	
प्रथम वर्ष हिलरॉक–2	2,190	4.0	8,760	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	7,230	1.5	10,845	1,00,226.3
द्वितीय वर्ष	6,942	1.5	10,413	

द्वितीय बेंच				
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	6,570	1.5	9,855	
द्वितीय वर्ष चतुर्थ बेंच	5,985	1.5	8,977.5	

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ढोण्डरा द्वारा दिनांक 28/05/2019 को दिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–3 **गौण एवं मुख्य खनिज संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स छापर भानपुरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजीव बाजपेयी), ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 676)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 22565/ 2018, दिनांक 22/03/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 22565/ 2018,

दिनांक 29/03/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1096 (ओल्ड) 161/1 ग, कुल लीज क्षेत्र 1.376 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,500 टन/वर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 259वीं बैठक दिनांक 26/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत छापर भानपुरी द्वारा दिनांक 12/06/1993 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो–423/ नाग/ 06–रायपुर/ 306, दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2015–16 से 2019–20 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2309 दिनांक 27/09/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–छापर भानपुरी लगभग 1.5 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकोट राज्यमार्ग 0.9 किलोमीटर है। प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–छापर भानपुरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन तोकापाल 14.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.41 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 10.03 किलोमीटर दूर है। इंद्रावती नदी 2.1 किलोमीटर एवं नारंगी नदी 11.93 किलोमीटर की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07/08/2018 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
7. लीज डीड श्री राजीव बाजपेयी के नाम पर है। पूर्व में प्रथम लीज दिनांक 09/08/1995 से 08/08/2015 तक स्वीकृत था, तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 08/08/2045 तक की अवधि हेतु स्वीकृत होना बताया गया है।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3398, दिनांक 29/08/1995 द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भू–प्रवेश की अनुमति

प्रदान की गई थी। वर्तमान में उत्खनन कार्य दिनांक 06/02/2018 से बंद होना प्रतिवेदित किया है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2479, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व 10,02,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,38,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.03 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र में छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 0.228 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन क्षेत्र एक छोटी पहाड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्खनन पहाड़ी काटकर किया गया है। वर्तमान में 15 मीटर तक पहाड़ी में उत्खनन किया गया है, तत्पश्चात् 10 मीटर नीचे और उत्खनन सतह तक किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 72 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ड्रिलिंग एवं ब्लाटिंग किया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के अंदर 0.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्रशर युनिट क्षमता 50 टन प्रतिदिन स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 100 नग प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष (जनवरी–दिसम्बर)	वास्तविक उत्खनन (टन)
1996	6,790
1997	2,678.63
1998	1,894
1999	2,762
2000	2,346
2001	1,058
2002	4,446
2003	7,206
2004	3,568
2005	3,105
2006	2,697
2007	4,025
2008	6,733
2009	4,409
2010	5,091
2011	3,317
2012	3,299
2013	4,634
2014	4,203
2015	5,180
2016	1,026
2017	1,217
2018	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2018–19	7,500
2019–20	7,500

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरणः– भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी है, को उल्लंघन की श्रेणी में मानना है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/03/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 15/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 278वीं बैठक दिनांक 15/05/2019_– प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 282वीं बैठक दिनांक 13/06/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव बाजपेयी, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.4	Following activities done in nearby School	
			Rain water harvesting in Govt School	Rs.0.20
			Potable drinking water facility in 2 near by Govt School.	Rs.0.24
			Total	**Rs. 0.44**

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

3. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.4 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 35.8 से 56.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.78 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11.92 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.6 डीबीए से 50.3 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

(द) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – रेमिडियल प्लान के प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव वाजपेयी, प्रोपराईटर द्वारा उपस्थित होकर आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. प्रस्तुत रेमेडियल प्लान में दी गई गणना वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। अतः समिति द्वारा उक्त को अमान्य किया गया।

7. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 63rd conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" का अवलोकन किया गया। उक्त conference के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" का समिति सदस्यों द्वारा

अध्ययन/अवलोकन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर समिति द्वारा विचार किया एवं पाया गया कि:–

i. प्रतिवेदन में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology का वर्णन करते हुये उद्योगों के लिए Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला निर्धारित किया गया:–

EC=PIxNxRxSxLF Where, EC - Environmental compensation in Rs. PI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of voilation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor

Note:

a. The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 40 to 59 and 21 to 40 respectively. It was suggested that the average Pollution Index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.

b. N, number of days for which voilation took place is the period between the day of voilation observed / due date of the direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB / SPCB / PCC.

c. R, is the factor in Rupees, which may be minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of voilation.

d. S, could be based on small / medium / large industries categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.

e. LF, could be based on population of the city / town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal bounary of the city / town, following factors (LF) may be used.

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त फार्मुला को मण्डल की 46वीं बैठक, दिनांक 29/07/2019 से छत्तीसगढ़ में अंगीकृत करते हुए लागू किया गया है।

iii. उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं। स्पष्टता के अभाव में समिति ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा प्रस्तावित तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा adopted उपरोक्त फार्मुला को प्रयोग के तौर पर उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए ही मान्य किया जाये।

iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated March 7, 2016

की संशोधित गाईडलाईन अनुसार माईनिंग के प्रकरण रेड कैटेगरी के अंतर्गत आते है।

v. समिति द्वारा निर्धारित Formula में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) के संबंध में गहन विचार किया गया। समिति का मत है कि माईनिंग एरिया (खदान) शहरी क्षेत्र से काफी दूर है तथा खदान के 10 किलोमीटर के भीतर जनसंख्या बहुत कम है। जबकि निर्धारित Formula उद्योगों (Industries) हेतु बनाया गया है। इसकी सूची में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से अधिक की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान नहीं होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु निम्नानुसार माना जाये:–

क्रमांक	जनसंख्या (लाख में)	लोकेशन फैक्टर (L-Factor)
1	5–10	1.0
2	1–5	0.75
3	1 से कम	0.5

यह मापदण्ड केवल खदानों के लिए निर्धारित किया गया है।

vi. अतः उत्खनन प्रकरणों के लिए PI - 80, R-Factor - 250, S-Factor - 0.5 एवं L-Factor उपरोक्तानुसार लेने का निर्णय लिया गया।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की अवधि में कुल 2,243 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उल्लंघन की अवधि में 40 से 50 टन प्रतिदिन उत्पादन किया गया था। समिति द्वारा विचार कर यह निर्णय लिया गया कि उत्पादन अनुसार उल्लघंन दिवस 57 (2300 टन/40 = 57 दिन) माना जाए।

viii. Environmental Compensation की राशि की गणना उपरोक्त फार्मुला के अनुसार निम्नानुसार होती है:–

Environmental Compensation = PIxNxRxSxLF
Environmental Compensation = 80x57x0.5x0.5x250
Environmental Compensation = Rs. 2,85,000 /-

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 2,85,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 2,85,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर

अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 2,85,000/– रूपये का उपयोग शासकीय प्राथमिक एवं सेकेण्डरी स्कूल गुण्डेरपारा, विकासखण्ड–तोकापाल, जिला–बस्तर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 22/10/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. Environment Compensation Plan के तहत् निर्धारित कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2309 दिनांक 27/09/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–छापर भानपुरी) का रकबा 1.376 हेक्टेयर है। प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1096 (ओल्ड) 161/1 ग, कुल क्षेत्रफल – 1.376 हेक्टेयर चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–7,500 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी, ग्राम–अर्जुनी, तहसील व जिला–बेमेतरा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 773)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 93983/ 2019, दिनांक 23/03/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अर्जुनी, ग्राम पंचायत अर्जुनी, तहसील व जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 1233, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 58,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 275वीं बैठक दिनांक 16/04/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी एवं श्री आशिष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत अर्जुनी दिनांक 13/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बेमेतरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04/04/2018 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–अर्जुनी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल एवं मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किलोमीटर है।
7. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर
9. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 170 मीटर
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 380 मीटर
12. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर
13. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी को खसरा क्रमांक 1233, कुल लीज क्षेत्र 6 हेक्टेयर में रेत उत्खनन क्षमता – 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु दिनांक 11/01/2016 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् खदान के समीप ही एनिकट बनने के कारण रेत उत्खनन का कार्य नहीं

किया गया। वर्तमान में कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु एनिकट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सीमांकित कर नई खदान घोषित की गई है।

15. नदी की पाट से 10 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। समिति का मत था कि कम से कम 10 प्रतिशत (40 मीटर) नदी के पाट से छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उक्त स्थल में वर्तमान में कितनी मोटाई में रेत उपलब्ध है? इस बाबत् वास्तविक खुदाई के आधार पर नाप कर माईनिंग विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/05/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 834, दिनांक 16/10/2016 द्वारा निम्न जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

   - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 04/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

   - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

   - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा से प्राप्त संशोधित जानकारी अनुसार घोषित रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

2. उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज ज्ञापन दिनांक 16/10/2016 द्वारा बिना हस्ताक्षर के प्रेषित किया गया है, जिसमें उत्खनन के संबंध में दिनांक 10/01/2018 तक का उल्लेख एवं रेत की उपलब्धता की जांच हेतु दिनांक 04/06/2019 की जानकारी दी गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उक्त पत्र कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा द्वारा जारी हुआ है अथवा नहीं ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: गौण खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. सचिव, ग्राम पंचायत दुलदुला, ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 891)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37017 / 2019, दिनांक 01 / 06 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21 / 06 / 2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05 / 07 / 2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दुलदुला, ग्राम पंचायत दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन सिरी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,136 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलदुला का दिनांक 08 / 02 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 445 / ख.शा. / 2015 / जशपुर, दिनांक 16 / 07 / 2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22 / 07 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन कमांक 4559 दिनांक 14/01/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष 5 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामदेव नायक, सचिव, ग्राम पंचायत दुलदुला एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 500 नग पौधे लगाए गए थे, जिसमें से 400 नग पौधे जीवित है।
3. खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2016–17 में 13,200 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं वर्ष 2017–18 में 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का उत्खनन किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा, ग्राम–बलुआबहार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 882)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36740/ 2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बलुआबहार, ग्राम पंचायत अमडीहा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,380 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1483/ख.लि. / 2018/जशपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकेट, जल आपूर्ति स्त्रोत आदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण

प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती अमृता बड़ा, सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई 135 मीटर तथा नदी के पाट की चौड़ाई 380 मीटर की जानकारी दी गई है।
4. ग्राम पंचायत अमडीहा द्वारा दिनांक 08/12/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सचिव, ग्राम पंचायत बुमतेल, ग्राम–कुजरी, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 892)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37179/ 2019, दिनांक 02/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुजरी, ग्राम पंचायत बुमतेल, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन लावा नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,568 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुमतेल का दिनांक 03/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 444/ख.शा./2015/जशपुर, दिनांक 16/07/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4754 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 15 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोहर एक्का, सरपंच, श्री गुलेश्वर यादव, सचिव, ग्राम पंचायत बुमतेल एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 350 नग पौधे लगाए गए थे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई 90 मीटर तथा नदी के पाट की चौड़ाई 100 मीटर की जानकारी दी गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–5: **एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. से पुनःविचार हेतु प्राप्त प्रकरण मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम–भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग पर निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम–भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 485ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी2 / 17059 / 2016, दिनांक 28 / 04 / 2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 10 / 07 / 2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 06 / 09 / 2016 को इनऑर्गेनिक कम्पाउण्ड एण्ड फाइन केमिकल मेन्युफेक्चरिंग हेतु टीओरआर बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 606 दिनांक 03 / 11 / 2017 द्वारा प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक केमिकल्स उत्पादन इकाई क्षमता 8150 टन / वर्ष में अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन कार्यकलाप यथा सेकरिन – 1000 टन / वर्ष एवं सेकरिन सोडियम – 1000 टन / वर्ष कुल उत्पादन (10150 टन / वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh" में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19 / 08 / 2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22 / 08 / 2019 में वर्तमान में स्थापित ईकाइयों तथा प्रस्तावित ईकाइयों से होने वाले कुल प्रदूषण भार (दूषित जल की मात्रा, ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हजाड्र्स अपशिष्ट की मात्रा आदि) की गणना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.व्ही. राव, वाइस प्रेसीडेन्ट एवं तकनीकी निदेशक मेसर्स के.के.बी. इन्वायरो केयर कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री जयंथी थिरूमलेश उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् स्थापित इनआर्गेनिक उत्पाद की मात्रा में वृद्धि एवं एक अन्य इनआर्गेनिक उत्पाद लिए जाने हेतु आवेदन किया गया है।
2. वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता-8,150 टन प्रतिवर्ष से वृद्धि कर इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (पूर्व जैसे 6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता-33,500 टन प्रतिवर्ष किया जाना है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल क्षमता-43,650 टन प्रतिवर्ष (6 इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एवं 2 फाईन कैमिकल्स) किया जाना प्रस्तावित है।
3. स्थापित प्लांट में कुल विनियोग रूपये 59.05 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप का विनियोग 25.2 करोड़ है। कुल विनियोग रूपये 84.25 करोड़ होगा।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित उत्पाद तथा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् उत्पादन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है:-

S. No.	Name of Product	Existing Quantity (TPA)	Additional Quantity (TPA)	Total After Expansion (TPA)	Status
Existing Products with expansion quantity - Inorganic Products (Existing - Regular Products as per consent vide dated 03/10/2017 & valid upto 31/08/2020)					
1.	Sodium Bichromate	5,000	11,000	16,000	Expansion
2.	Basic Chromium Sulphate (BCS)	1,800	16,200	18,000	Expansion
3.	Potassium Bichromate	300	900	1,200	Expansion
4.	Sodium Chromate tetra-hydrate	300	0	300	No Change
5.	Chrome Oxide Green	150	0	150	No Change

6.	Chromic Tri Oxide (Chromic Acid)	600	5,400	6,000	Expansion
EC permitted Fine Chemicals (as per EC order vide date 03/11/2017)					
1.	Saccharin	1,000	0	1,000	No Change
2.	Saccharin Sodium	1,000	0	1,000	No Change
By Products from Inorganic products					
1.	Sodium Bisulphate Solution	2,517	0	0 (as converted to sodium sulphate)	Expansion
2.	Sodium Sulphate	8,452.23	49,071	51,587.8	Expansion
3.	Sodium chloride	333.3	1,000	1,333.3	Expansion

6. **जल उपयोग संबंधी जानकारी** – वर्तमान में परियोजना हेतु 178 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 26 घनमीटर प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आपूर्ति रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित कर की जाएगी। परियोजना में रिसायकल वॉटर 153 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 357 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु दिनांक 04/01/2018 द्वारा आवेदन किया गया। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 07/08/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी/दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/08/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमति शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाएगी।

7. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट (15 मीटर X 10 मीटर X 5 मीटर) क्षमता 750 घनमीटर एवं स्टोरेज 500 घनमीटर (व्यास 12 मीटर X गहराई 4.5 मीटर) स्थापित है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जाएगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। उक्त कार्य 03 माह के भीतर किया जाना बताया गया।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण** – वर्तमान क्रियाकलापों से कुल 29 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप से अतिरिक्त दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु वर्तमान में स्थापित इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10 टीपीएच के साथ 40 मीटर एवं कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच के साथ 30 मीटर की चिमनी स्थापित है। मल्टी सायक्लोन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया गया है। चिमनी से पर्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50

मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है।

10. **ईंधन संबंधी विवरण** – उद्योग में पूर्व से स्थापित हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10 टीपीएच हेतु आवश्यक हस्क खपत 50 टन प्रतिदिन एवं स्टेण्डबाई कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच हेतु आवश्यक कोल खपत 12 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु कोई अतिरिक्त बॉयलर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में स्थापित सिंगल स्टेज इवोपुरेटर (Single stage evaporator) के स्थान पर मल्टीपल इफेक्ट इवोपुरेटर (Multiple effect evaporator), new pre-heater & recuperator स्थापित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उन्नत तकनीक का प्रयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त ईंधन का उपयोग नहीं होगा।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन** – वर्तमान में परियोजना से ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट 10.987 टन प्रतिदिन जनित होता है। जिसका अपवहन स्वयं के सिक्युर लैण्ड फिल साइट (Secure land fill site) में किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट कुल 35.156 टन प्रतिदिन जनित होगा। पूर्व की व्यवस्था ही प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी जारी रखी जाएगी।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Addtiona; Capital Investment (in Crore)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	
Rs.25.2	1.0%	Rs. 25.00	Following activities at Nearby Government Schools	
			Rain water harvesting	
			Potable Drinking Water Facility with 3 years AMC	
			Solar Electric system	
			Runnig water facility for wash room	
			Awareness programm regarding Environment	
			Greenery Development	
			Total	**Rs. 25.00**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

13. (i) प्रस्तावित कार्यकलाप में उन्नत तकनीकी के उपयोग, स्थापित एवं प्रस्तावित उन्नत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होगी।

(ii) प्रस्तावित क्षमता विस्तार में उद्योग से शून्य जल निस्सारण व्यवस्था बनायी रखी जाना प्रस्तावित है।

(iii) जल उपभोग की मात्रा में 7,800 घनमीटर प्रतिवर्ष की वृद्धि होना प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना प्रस्तावित है।

(iv) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्तावित कार्यकलाप से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार इनआर्गेनिक उत्पादों Inorganic products को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 के अनुक्रम में प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गईः–
   i. Project proponent shall not increase any solid / liquid/ gases fuel such as coal, furnace oil, diesel etc. in any form as a fuel for the proposed activity.
   ii. Project proponent shall upgrade the air pollution control arrangements of the already installed boiler(s) to ensure outlet dust (particulate matter) emission less than 30 mg / Nm^3 all the time.
   iii. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table within three months.
   iv. Project proponent shall ensure utilization of Spent Chromic Sulphate (Green Liquor) in the production of Basic Chromium Sulphate (BCS) as per proposal.
   v. No ground water shall be used for the proposed activity without prior permission from CGWA. Additional 26 KLD water requirement will be met by the development of rainwater-harvesting system.
   vi. Project proponent shall ensure the disposal of solid wastes (generated from Sodium Bichromate) to its own captive TSDF site as per the Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary movement) Rules, 2016 and as per the authorization / rules and

permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB), Nava Raipur Atal Nagar.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 31/10/2019 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन कर, नोट किया गया कि वर्तमान में परियोजना से ठोस अपशिष्ट 10.987 टन प्रतिदिन जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 35.156 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट जनित होगा। उपरोक्त का अपवहन स्वयं के सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में किया जाना बताया गया है। सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के संबंध में निम्न तथ्य अस्पष्ट है:–

1. सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के कुल भण्डारण क्षमता बाबत् जानकारी।
2. सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के निर्माण के पश्चात वर्षवार उत्पादन की वास्तविक मात्रा, वर्षवार उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की वास्तविक मात्रा एवं इन ठोस अपशिष्टों के अपवहन संबंधी जानकारी।
3. वर्तमान में इस सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में कुल कितनी मात्रा में ठोस अपशिष्ट का भण्डारण किया गया है? इस बाबत् जानकारी।
4. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्टों का अपवहन किये जाने पर सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) की संभावित आयु संबंधी जानकारी एवं भविष्य में सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) के पूर्ण भराव होने की दशा में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।
5. परियोजना स्थल एवं सिक्युर्ड लेण्डफिल साइट (Secured Landfill Site) में बनाए गये पिजोमीटर में ग्राउण्ड वॉटर गुणवत्ता संबंधी जानकारी।

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण उपरांत अनुशंसा करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाए।

(द) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–6: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर (डॉयरेक्टर–श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, छिर्रालेवा क्रशर स्टोन क्वारी–बी), ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 968)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44084/2019, दिनांक 02/10/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्रशर पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,351 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1414ए क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र. /2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के उपरांत अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1354/क/ ख.लि./ अस्था.अनु./ न.क्र. 2019 महासमुंद, दिनांक 31/08/2019 द्वारा जारी की गई।

6. निकटतम आबादी ग्राम–छिर्रालेवा 0.325 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–छिर्रालेवा 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,06,492 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,39,716 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.23 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,695 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	7,695	1.5	11,542.5	30,010.5
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	7,250	1.5	10,875	28,275
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	3,350	1.5	5,025	13,065
द्वितीय वर्ष तृतीय बेंच	3,350	1.5	5,025	13,065
द्वितीय वर्ष चतुर्थ बेंच	6,370	1.5	9,555	24,843
द्वितीय वर्ष पंचम बेंच	6,000	1.5	9,000	23,400
द्वितीय वर्ष षष्ठम बेंच	5,429	0.5	2,714.5	7,057.7

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति माधोपाली नाला से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 622 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त आवेदन समिति की दिनांक 20/11/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया जाना प्रस्तावित है।

समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से दिनांक 20/11/2019 को बैठक में उपस्थित होना संभव नहीं होना बताया गया एवं आज प्रकरण पर विचार किए जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5262/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/09/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2073 महासमुंद, दिनांक 22/06/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से उत्तर में लगभग 20 मीटर एवं दक्षिण में लगभग 100 मीटर दूर है। उक्त जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित खसरा क्रमांक 97 ग्राम–छिर्रालेवा हेतु जारी किया गया है। विचाराधीन प्रकरण सामान खसरा क्रमांक 97 में स्थित है। अतः समिति द्वारा उक्त प्रस्तुत वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया गया।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1872क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर 20 मीटर की दूरी पर स्थित है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Rs. 20.25</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">Rs. 0.4</td><td colspan="2">Following activities will be done in Govt. Primary School Chhirralewa & Govt. Higher Secondary School Kotendarha</td></tr>
<tr><td>Rain water harvesting (2 No.)</td><td>Rs.0.56</td></tr>
<tr><td>Supply of running water facility in the toilets</td><td>Rs.0.44</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 1.0</td></tr>
</table>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डस्ट सप्रेसन एवं औद्योगिक कार्य हेतु माधोपाली नाला से पानी लिया जाएगा एवं पेयजल हेतु मिनरल वॉटर (जार) बाजार से क्रय कर उपयोग में लाया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारो तरफ बाउण्ड्री में उचित फेंशिंग लगाया जाएगा।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र से पत्थर के परिवहन हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा निर्मित सड़क का उपयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1872क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित खदान (ग्राम–छिर्रालेवा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–छिर्रालेवा) को मिलाकर 4.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील – बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर क्रशर पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स छापर भानपुरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजीव बाजपेयी) को खसरा क्रमांक 1096 (ओल्ड) 161/1ग, कुल लीज क्षेत्र 1.376 हेक्टेयर, ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर में चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–7,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.376 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–7,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।

5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। लीज क्षेत्र में क्रशर / स्क्रीन आदि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 20	2%	Rs. 0.4	Following activities done in nearby School	
			Rain water harvesting in Govt School	Rs.0.20
			Potable drinking water facility in 2 near by Govt School.	Rs.0.24
			Total	**Rs. 0.44**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. Environment Compensation के तहत् निर्धारित कार्य यथा शासकीय प्राथमिक एवं सेकेण्डरी स्कूल गुण्डेरपारा, विकासखण्ड–तोकापाल, जिला–बस्तर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण का कार्य 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।

16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 100 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

17. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

20. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

23. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

25. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर

विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर (डॉयरेक्टर–श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, छिर्रालेवा क्रशर स्टोन क्वारी–बी) को खसरा क्रमांक 97, कुल 1 हेक्टेयर, ग्राम–छिर्रालेवा, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद में क्रशर पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्रशर पत्थर (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन क्षमता–71,351 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए (यदि आवश्यक हो)।

5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। लीज क्षेत्र में क्रशर / स्क्रीन आदि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20.25	2%	Rs. 0.4	Following activities will be done in Govt. Primary School Chhirralewa & Govt. Higher Secondary School Kotendarha	
			Rain water harvesting (2 No.)	Rs.0.56
			Supply of running water facility in the toilets	Rs.0.44
			Total	**Rs. 1.0**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 622 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.